

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक:एफ 13(7)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2024

जयपुर, दिनांक : 27-06-2024

गेहूं आवंटन आदेश माह अगस्त, 2024
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश संख्या 7-1/2019-बीपी-III पार्ट V (e-376706) दिनांक 16.10.2023 एवं आदेश संख्या 15-33/2012-NFSA-पार्ट दिनांक 23.11.2023 विभागीय आदेश दिनांक 07/08.02.2019 तथा गार्डिलाइन दिनांक 12.02.2019 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल तथा PHH अन्य श्रेणी के राशनकार्डधारी लाभार्थियों को निःशुल्क पात्रानुसार **माह अगस्त, 2024** हेतु गेहूं का जिलेवार उप-आवंटन संलग्न **परिशिष्ट-1** के अनुसार किया जाता है। उचित मूल्य दुकानवार उप-आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उठाव के दौरान निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

- 1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न (गेहूं) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। गेहूं का मासिक आवंटन दो श्रेणियों में निम्नानुसार किया जा रहा है :-

गेहूं आवंटन की श्रेणियां (Categories)		
श्रेणी	शीर्षक	दर
प्रथम	AAV, BPL & SBPL	निःशुल्क
द्वितीय	PHH (Others)	निःशुल्क

- 2- खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत "अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल व PHH अन्य श्रेणी" के पात्र परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक **16.06.2024** की अद्यतन संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन, ऑफलाईन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतद्वारा जिलेवार उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है।
- 3- माह अगस्त, 2024 हेतु आवंटित गेहूं का उठाव दिनांक 01 जुलाई, 2024 से प्रारम्भ किया जावे तथा दिनांक 31 जुलाई, 2024 तक शत-प्रतिशत उठाव किया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावे। खाद्यान्न उठाव की अवधि नहीं बढ़ायी जावेगी तथा कम उठाव किये जाने के कारण लाभार्थियों के गेहूं प्राप्ति से वंचित रहने पर संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 4- खाद्य विभाग (मुख्यालय) से जारी जिलेवार एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानवार गेहूं के आवंटन आदेश के अनुरूप श्रेणीवार गेहूं के उठाव का रिलीज आर्डर (RO) जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
- 5- आवंटित गेहूं के जिला स्तर पर भारतीय खाद्य निगम से निर्धारित समयावधि में शत-प्रतिशत मात्रा के उठाव एवं उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति की संयुक्त जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारी एवं प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति की होगी। वह उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति किये गये गेहूं का तौल कराकर आपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 6- उचित मूल्य दुकान को आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा "सेन्ड टू पोस" हो जायेगी। जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति संयुक्त रूप से आवंटित गेहूं की सम्पूर्ण मात्रा को पोस मशीन में रिसीव कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। विसंगति की स्थिति में संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 7- खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी गेहूं के आवंटन, उठाव एवं वितरण हेतु श्रेणीवार प्रविष्टियां संधारित की जाएगी।
- 8- योजनान्तर्गत थोक विक्रेता (KVSS/MCS) एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर श्रेणीवार वितरित गेहूं के माहवार स्टॉक रजिस्टर के संधारण की व्यवस्था समुचित मार्गदर्शन देकर प्रारम्भ करवाये जाने हेतु पूर्व

में दिये गये निर्देशों की पालना की जाए तथा संधारित रजिस्टर के सैम्पल जांच नियमित रूप से जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा किया जाए, ताकि श्रेणीवार लाभार्थियों को निर्धारित पात्रतानुसार गेहूं प्राप्त होने की पुष्टि हो सकें।

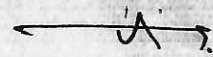
- 9- नवीन व्यवस्था अन्तर्गत श्रेणीवार वितरित गेहूं का माहवार स्टॉक रजिस्टर (Stock Register) उचित मूल्य दुकानदार द्वारा संधारित किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन पोस पर परिलक्षित अनुसार ऑपनिंग एवं क्लोजिंग बैलेन्स स्पष्ट अंकित किया जाएगा। प्रतिदिन वितरण एवं अवशेष स्टॉक की मात्रा श्रेणीवार (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेटबीपीएल एवं PHH अन्य) संधारित की जाएगी। स्टॉक रजिस्टर में श्रेणीवार प्रविष्ट मात्रा का मिलान पोस पर परिलक्षित मात्रा से होना आवश्यक है।
- 10- गेहूं वितरण की ग्राहकप्रची (Beneficiary Receipt) पोस मशीन से आवश्यक तौर पर जारी की जाएगी तथा प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी।
- 11- सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानवार राशनकार्डों की संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। अतः आवंटन के अनुरूप उठाव सुनिश्चित किया जाना जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। विशिष्ट परिस्थितियों में गेहूं के आंशिक समर्पण की आवश्यकता होने पर जिला रसद अधिकारी अपने स्तर से उचित मूल्य दुकानवार आवंटित मात्रा में कमी करते हुए उप आवंटन जारी करें।
- 12- ऑफलाईन वितरित किये गये गेहूं की आगामी माह की 15 तारीख तक पोस मशीन/पोर्टल पर इन्दाज एन्ट्री कराया जाना सुनिश्चित करें। विसंगति की स्थिति में संबंधित जिला रसद अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 13- खाद्य विभाग द्वारा एससीएम पोर्टल पर अंकितानुसार उचित मूल्य दुकानों के पास उपलब्ध अधिकतम समायोजन योग्य प्रारम्भिक अवशेष स्टॉक को समायोजित कर आगामी माह का नवीन आवंटन जारी किया जाता है। इसके बावजूद अगर किसी उचित मूल्य दुकान पर एससीएम पोर्टल लागू होने से पूर्व का एनएफएसए अतिरिक्त गेहूं भौतिक रूप से उपलब्ध हो, तो जिला रसद अधिकारी अपने स्तर पर उक्त गेहूं का समायोजन कर मुख्यालय द्वारा जारी आवंटित मात्रा में कम करते हुए उप आवंटन किया जाना सुनिश्चित करें। यहां यह भी सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी निष्क्रिय पोस मशीन हेतु आर.ओ. जारी न हो पावे।
- 14- "वन नेशन वन राशनकार्ड" के तहत अन्य राज्यों के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उचित मूल्य दुकानवार आवश्यक मात्रा का 02 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
- 15- माह अगस्त, 2024 के पेटे आवंटित खाद्यान्न के आवंटन/उठाव/वितरण हेतु विभाग द्वारा दिनांक 12.02.2019 को जारी की गई गाईडलाईन की समुचित पालना सुनिश्चित की जावे।

विभाग द्वारा गेहूं उठाव बाबत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2014 अनुसार आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) का उठाव उसके पूर्व माह की अंतिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित करें। भारत सरकार द्वारा वैधता अवधि का विस्तार नहीं किये जाने बाबत निर्देश प्रदान किये गये हैं।

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

नोट:-वर्तमान में नवसृजित जिलों हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत खाद्यान्न का आवंटन पृथक से नहीं किया जा रहा है। नवसृजित जिलों का खाद्यान्न आवंटन पूर्वानुसार ही किया जा रहा है, संबंधित जिला रसद अधिकारी पूर्वानुसार स्थित उचित मूल्य दुकानों हेतु उप-आवंटन/आर.ओ. जारी करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

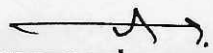


(आशीष कुमार)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों पर वितरण के इन्द्राज हेतु ऑप्शन स्थायी रूप से खोलने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करें।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, उपायुक्त (प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग, राज.जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लि., जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि आवंटित मात्रा का निर्धारित समयावधि में उठाव करने तथा उचित मूल्य दुकान पर शत-प्रतिशत उठाव मात्रा की आपूर्ति हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करें।
9. महाप्रबंधक (क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, नेहरू पलेस, टोंक रोड, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ) के रिलीज आर्डर स्थानीय/निकटतम एफ.सी.आई. गोदामों से जारी करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।
10. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य विभाग, राज.जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रक्रिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द कराया जाना सुनिश्चित करें।
11. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान/प्रबंधक, खाद्य आपूर्ति निगम, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि नियमित रूप से माह के प्रत्येक दिन पर्याप्त संख्या में ट्रकों की उपलब्धता करवाते हुए, उक्त योजना में समानुपातिक रूप से भारतीय खाद्य निगम के कार्य दिवसों में निर्धारित वैधता अवधि के दौरान आवंटित गेहूँ का शत-प्रतिशत उठाव कराया जाकर एवं वितरण सुनिश्चित करावें। भारतसरकार के निर्देशानुसार वैधता अवधि का विस्तार नहीं किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रक्रिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द करदी जावेगी। अतः निर्धारित वैधता अवधि में शत-प्रतिशत मात्रा का उठाव कर उचित मूल्य दुकानवार चालान काटा जाना सुनिश्चित करें। जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति संयुक्त रूप से आवंटित गेहूँ की उचित मूल्य दुकानों पर तौल कराकर आपूर्ति कराया जाना तथा आपूर्ति की गई सम्पूर्ण मात्रा को पॉस मशीन में रिसीव कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। विसंगति की स्थिति में संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
12. ए.सी.पी.(खाद्य) को प्रेषित कर लेख है कि सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से समन्वय स्थापित कर ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों द्वारा किये गये वितरण का पोर्टल पर इन्द्राज कराने हेतु ऑप्शनस्थायी रूप से खुलवाने की कार्यवाही करें।
13. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को सभी संबंधित को ईमेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

NFSA Regular Wheat Allotment August-2024

Sr. No.	District	Category wise Net allotment				Final Allotment (M.T.)
		Net NFSA AAY Allotment (M.T.)	Net NFSA BPL Allotment (M.T.)	Net NFSA SBPL Allotment (M.T.)	Net NFSA APL Allotment (M.T.)	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Ajmer	598.364	907.811	369.703	5875.443	7751.321
2	Alwar	708.954	1466.426	515.473	9799.466	12490.319
3	Banswara	1467.874	2313.034	693.443	2875.440	7349.791
4	Baran	1499.262	827.936	180.119	2644.506	5151.823
5	Barmer	790.109	2369.242	367.715	5759.649	9286.715
6	Bharatpur	498.372	1382.000	330.787	5902.401	8113.560
7	Bhilwara	858.807	1544.635	502.777	4593.377	7499.596
8	Bikaner	383.670	1960.358	424.672	3549.256	6317.956
9	Bundi	425.948	689.783	199.688	2569.095	3884.514
10	Chittaurgarh	902.171	893.228	576.492	2425.084	4796.975
11	Churu	754.685	1817.119	379.931	3739.665	6691.400
12	Dausa	325.103	1028.552	154.272	3784.115	5292.042
13	Dhaulpur	288.082	638.468	134.046	3047.312	4107.908
14	Dungarpur	1061.172	2490.885	342.806	2222.298	6117.161
15	Ganganagar	385.170	1288.383	146.190	4059.844	5879.587
16	Hanumangarh	454.009	987.898	172.785	3335.376	4950.068
17	Jaipur	457.256	1636.084	521.622	13002.132	15617.094
18	Jaisalmer	219.216	451.045	112.458	1270.596	2053.315
19	Jalor	740.852	1517.479	329.325	3600.925	6188.581
20	Jhalawar	538.934	1114.583	271.596	3301.415	5226.528
21	Jhunjhun	312.330	533.343	203.970	5608.178	6657.821
22	Jodhpur	287.152	1721.515	195.771	8037.011	10241.449
23	Karauli	518.559	1379.019	250.207	2421.333	4569.118
24	Kota	315.481	1054.194	162.179	3092.353	4624.207
25	Nagaur	564.589	1335.677	357.489	9195.169	11452.924
26	Pali	620.921	1289.322	343.334	4299.459	6553.036
27	Pratapgarh	478.811	1058.418	257.457	1611.383	3406.069
28	Rajsamand	640.299	964.882	261.585	2609.951	4476.717
29	Sawai Madhopur	508.693	829.021	289.881	2754.289	4381.884
30	Sikar	279.085	780.112	171.427	7184.669	8415.293
31	Sirohi	326.243	557.250	182.622	2582.238	3648.353
32	Tonk	540.170	849.263	345.900	3179.317	4914.650
33	Udaipur	1689.794	3772.090	804.812	5003.889	11270.585
Total		20440.137	43449.055	10552.534	144936.634	219378.360

(आशीष कुमार)
उपायुक्त एवं उप-शासन सचिव,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग